न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी– उम्मेदी लाल मीणा आर.ए.एस

अपील सं. 10/2022

परमिन्द्र सिंह उर्फ प्रमेन्द्र सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह आयु 27 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 04. मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
2. बसन्त सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नम्बर 04. मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)।
3. मनेन्द्र सिंह पुत्र श्री बसन्त सिंह निवासी वार्ड नम्बर 04. मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)।

रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्व नामान्तरण संख्या 810 जिसके अनुसार बलवीर कौर पत्नी हिम्मत सिंह के नाम चक 13 एएमपी की कृषि भूमि का वसीयत अस्तित्व मे होने के बावजूद विरासतन नामान्तरण दर्ज किया गया, को खारिज किये जाने बाबत् ।

उपस्थित:– 1. श्री प्रदुमान परमार अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री बलविन्द्र सिंह अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं0 2 व 03
3. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

–:निर्णय:–

दिनांक: –30.04.2024

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि चक 13 एएमपी पटवार हल्का मोरजण्ड सिखान भू.अ. निरिक्षक हल्का रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ मे बलवीर कौर पत्नी हिम्मत सिंह जो अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट सख्या 3 की दादी है, के नाम खाता संख्या 75 / 53 पत्थर नम्बर 148/163 मे 4.554 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज थी। बलवीर कौर पत्नी हिम्मत सिह ने अपने जीवनकाल मे अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से दिनाक 28.12.2005 को एक पंजीकृत वसीयत अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट सख्या 3 के पक्ष मे तहरीर व तकमील करवाई जिसमे चक 13 एएमपी मे दर्ज अपना समस्त हिस्सा जरिये वसीयत अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट सख्या 3 के नाम से की गई जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को सदैव रही। यहा यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उस समय नाबालिग थे और उन्हे इस वसीयत की जानकारी नही हो सकी। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ने बलवीर कौर पत्नी हिम्मत सिह की मृत्यु के पश्चात बलवीर कौर का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसनामा प्रस्तुत कर वसीयत के अस्तित्व मे होने की जानकारी होने के बावजूद [illegible] सख्या 1 से दर्ज करवाया जो विधि सम्मत नही होने के कारण काबिले [illegible]। इस कारण अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट [illegible] सख्या 810 को निरस्त करवाने व वसीयत के आधार [illegible] हेतु यह अपील प[illegible] की है जिसकी निम्न आधारो पर चुनौती दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट सख्या 2 बसन्त सिंह, अपीलार्थी के पिता को इस वसीयत के बाबत जानकारी होने के बावजूद वारिसनामा के आधार पर नामान्तरण करवा लिया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम वसीयत के अस्तित्व में होने के बावजूद विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण दर्ज किया गया है। अपीलार्थी को उक्त वसीयत की जानकारी नही थी। अपीलार्थी को उक्त वसीयत की जानकारी होने के पश्चात अपीलार्थी ने पटवारी हल्का से दिनांक 28.01.2022 को नामान्तरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तो उसे विरासतन नामान्तरण की जानकारी हुई। अपीलार्थी द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में कुछ रोज पूर्व रिश्तेदारो द्वारा जानकारी दिये जाने पर वसीयत की जानकारी हुई थी जिस पर अपीलार्थी ने अविलम्ब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रमाणित प्रति प्राप्त की और यह अपील बिना किसी देरी के प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी द्वारा देरी की माफी के लिए पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश नामान्तरण सख्या 810 निरस्त फरमाया जावे व रेस्पोडेन्ट सख्या 1 को अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट सख्या 3 के पक्ष में पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 03 की ओर से श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को उक्त वसीयत की जानकारी होने के पश्चात पटवारी हल्का से दिनांक 28.01.2022 को नामान्तरण 810 की प्रति प्राप्त की तो विरासतन नामान्तरण की जानकारी हुई। वसीयत के सम्बन्ध में कुछ रोज पूर्व रिश्तेदारों द्वारा जानकारी दिये जाने पर वसीयत की जानकारी हुई थी। ज्ञान होते ही ईन्तकाल की नकल प्राप्त करते हुए बिना देरी के अपील प्रस्तुत की गई है। अपने कथनों की ताईद में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए अपील को अंदर मियाद माने जाने का तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 02 व 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि ईन्तकाल सं0 810 दिनांक 14.7.2020 को स्वीकृत हुआ है। अपीलांट द्वारा अपील दिनांक 15.02.2022 को लगभग 02 वर्ष से विलम्ब से पेश की गई है, जो मियाद बाहर है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बताया गया कि उक्त ईन्तकाल की जानकारी रिश्तेदार से हुई है परन्तु यह नहीं बताया कि कौनसे रिश्तेदार, किस दिनांक को हुई। ऐसा हो नहीं सकता की विभिन्न राजस्व न्यायालयों में उक्त प्रकरण चल रहे हों और पता नहीं हो। उक्त प्रकरण में वसीयत 28.12.2005 को की गयी परन्तु पूर्वज दादी की मृत्यु 22.12.2015 को हुयी है। मृत्यु दिनांक 22.12.2015 से ईन्तकाल दर्ज होने तक उक्त वसीयत को कभी प्रकट नहीं किया गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त समय तक चुप्पी का कारण नहीं बताया गया। वसीयत की अनभिज्ञता [illegible] सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 07 अक्टुबर 2023 को प्रतिपादित मत के [illegible] र्ड वसीयत को भी साबित आवश्यक है। अपीलांट अपने हक यदि कोई [illegible] घोषणा का वाद दायर कर सकते हैं। तह[illegible] द्वारा दर्ज विरासतन नामान्तरण सख्या 810 विधि सम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्र[illegible] अपील खारिज फरमायी जावे

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

किया. इसमे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15.02.2022 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मे अपीलांट द्वारा कब व किसके द्वारा वसीयत व नामान्तरण की जानकारी हुई अंकन नही किया है, केवल अनुमान के आधार पर अकन किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मे भी वसीयत व नामान्तरण के बारे में कब, कैसे पता चल स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बताया गया कि उक्त ईन्तकाल की जानकारी रिश्तेदार से हुई है परन्तु यह नहीं बताया कि कौनसे रिश्तेदार, किस दिनांक को हुई।

2. प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के व्यक्ति है और वह भी पिता–पुत्र। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता कि अपीलांट का प्रश्नगत ईन्तकाल सं0 810 दिनांक 14.7.2020 की जानकारी नहीं हों।

इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण के स्वीकृत होने के लगभग 01 वर्ष 05 माह का समय व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट मियाद अवधि से बाहर होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा दर्ज विरासतन नामान्तरण सख्या 810 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/2024

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 13:03:03 IST
Reason: SelfAttested